

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम वर्ष(-----) अनुदान प्राप्ति हेतु गैर रैयत संबंधित स्व-घोषणा पत्र

मै.....,(पिता का नाम /पति का नाम)....., गाँववार्ड
 नंबर....., पंचायत, प्रखंड, जिला....., मोबाइल नंबरका निवासी हूँ। मै
 घोषणा करता /करती हूँ की मे, श्री/श्रीमती गाँववार्ड नंबर....., पंचायत
, प्रखंड, जिला....., मोबाइल नंबरके खेत, जिसका रकबाएकड़ है
 , पर आपसी /मौखिक सहमति /लीज के आधार पर खेती करता/करती हूँ। जिसका विवरण निम्नवत है:-

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
फोटो

संख्या	खाता संख्या	खेसरा का विवरण
1		
2		
3		
4		

कृषक का कृषि विभाग का निबंधन संख्या -----

(नोट:-ऊपर दिए गए कृषि विभाग का निबंधन संख्या से जो बैंक का खाता जुड़ा हुआ है, उसी बचत बैंक खाता पर भुगतान किया जायेगा एवं जो मोबाइल नंबर निबंधित है उसी पर एस एम एस द्वारा सूचना दी जाएगी।

कृषक के पहचान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ(कृपया जो भी चुने उस पर सही का निशान लगाये)

- आधार कार्ड
- निर्वाचन फोटो कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- कृषि विभाग में निबंधन से सम्बंधित बचत बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी जानकारी सही है तथा दी गयी उपरोक्त जानकारी में किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर गन्ना उद्योग विभाग, बिहार मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाई कर सकेगी।

स्थान का नाम :.....

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

मै,.....(चौहदीदार किसान), घोषणा करता हूँ कि आवेदक द्वारा दिए गयी उपरोक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। (न्यूनतम एक चौहदीदार किसान का हस्ताक्षर)

चौहदीदार किसान का हस्ताक्षर

मै,.....(चीनी मिल द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि), घोषणा करता हूँ कि आवेदक द्वारा दिए गयी उपरोक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

चीनी मिल द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मोहर

मै,.....(वार्ड सदस्य).....वार्ड नंबर, घोषणा करता हूँ कि आवेदक द्वारा दिए गयी उपरोक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मोहर

नोट:-इस घोषणा पत्र का उपयोग केवल मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत योजना का लाभ लेने हेतु किया जायेगा।